न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

R. 5009 - तीन / 15

Rs. 20/-

राधिका प्रसाद उम्र 64 वर्ष आत्मज बालाराम ब्राम्हण, निवासी ग्राम बरबसपुर, तहसील मानपुर, थाना एवं जिला उमरिया (म.प्र.) ——— आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी हल्का बरबसपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) ——— अनावेदक

श्री देवेन्द्र ... द्वारा आज दिनांक ... 8-15 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी निर्णय विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, शहडोल संभाग शहडोल राजस्व प्रकरण क्रमांक 135/ अपील/ 2014-15 निर्णय दिनांक 25.06.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू- राजस्व संहिता, 1959

मान्यवर,

(1) मामले का संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

1. यह कि पटवारी हल्का बरबसपुर, तहसील मानपुर ने आराजी खसरा नम्बर 271 रकवा 2.938 हे. आराजी ग्राम बरबसपुर, पटवारी हल्का बरबसपुर, राजस्व निरीक्षक मण्डल ताला में स्थित आराजी के अंश भाग रकवा 0.042 हे. पर आवेदक का अवैध कब्जा मानकर नायब तहसीलदार, तहसील मानपुर के न्यायालय में धारा 248 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

2. यह कि आवेदक ने अधीनस्थ मूल न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त ताला में अपना जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 261/1 क 2 रकवा 0.147 हे. आराजी आवेदक के कब्जे दखल एवं पट्टे की आराजी है, जिस पर आवेदक विधिवत काबिज दखील होकर दुकान का कारोबार करता चला आ रहा है।

3. यह कि अधीनस्थ मूल न्यायालय नायब तहसीलदार, वृत्त ताला ने संबंधित प्रकरण में राजस्व निरीक्षक मण्डल ताला से दिनांक 16.06.2014 को प्रतिवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5009–तीन/2015 जिला उमरिया

राधिका प्रसाद विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–2–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 135/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त सहित तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। आवेदक अभिभाषक समवर्ती निष्कर्षों में हुई त्रुटि भी दर्शाने में असमर्थ रहे। आवेदक अभिभाषक निगरानी में ग्राह्यता का आधार प्रकट नहीं कर सके। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

बार